न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2 / 264 / 2023 दायर दिनांकः— 20 / 10 / 2023

जीसीएमएस नं0:— 2023 / 571 निर्णय दिनांकः— 22 / 12 / 2025

वउनवान

1. अनीता पुत्री करतारसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
2. कृपा पुत्री करतारसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
3. कपिल पुत्री करतारसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
4. करिईया पुत्री करतारसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
5. गुडडन पुत्री करतारसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
6. नेहा पुत्री करतारसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
7. निकिता पुत्री करतारसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
8. प्रेमवती पत्नी करतारसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर

वादनी सं0 1 ला0 7 नाबालिग जरिये सपरस्त माता मु0 प्रेमवती पत्नी करतारसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

1. करनसिंह पुत्र दाताराम जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—श्री राधाबल्लभ शर्मा — अधिवक्ता सायलान

श्री रामजीलाल — अधिवक्ता गैरसायल 1

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

—::आदेश::—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 220, 278, 12, 146, 16, 17, 21, 247, 517/697, 520, 521 वाके ग्राम टीकरी तहसील कठूमर में स्थित है उक्त आराजी सायलान एंव गैरसायल सं0 1 की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायलान एंव गैरसायल सं0 1 के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायलान एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। सायलान उक्त अवट आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है तथा अपने हिस्सा की आराजी में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाउ बनाना चाहते है। गैरसायलान ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा के लिये मना कर दिया तथा गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी को राजी खुशी नहीं बांटेगें और विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी अवट ना होकर मौके पर वंटी हुई है विवादित आराजी पर सायलान एंव गैरसायल मुताविक घरू वंटवारा काविज रहकर काश्त कर रहे है उक्त आराजी केवल शामलात खातेदारी में दर्ज है लेकिन विवादित आराजी का तकासमा हो रहा है। सायलान एंव गैरसायल का विवादित आराजी के काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। गैरसायल ने अपने हिस्सा की आराजी में अच्छे किस्म के खाद बीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। गैरसायल विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम टीकरी की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान, गैरसायल सं0 1 की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायल विवादित आराजी पर सायलान के शामलात में काश्त में बाधा पैदा करते है तथा अवट आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है यदि गैरसायल ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायल को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल सं0 1 की सहमति से वंटी हुई है। पक्षकारान अपने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। गैरसायल विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

सायलान को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

1. **प्रथम दृष्टा केसः**–विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायली एंव गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज है जो अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायल विवादित आराजी पर सायलान के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करता है तथा विना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है। यदि गैरसायल ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जावे। विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल सं0 1 की काफी समय पहले की सहमति से वंटी हुई है। पक्षकारान अपने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। सायलान ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

प्रार्थना पत्र के तथ्यों व प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। सायलान एंव गैरसायल के विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी सायलान व गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज है जवकि अधिवक्ता गैरसायल ने विवादित आराजी को मौके पर बंटी हुई बताया है लेकिन विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः विवादित आराजी सायलान व गैरसायल की शामलात खातेदारी मे दर्ज होने से उक्त आराजी का अवट व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। सायलान विवादित आराजी की हिस्सानुसार सहखातेदार दर्ज है। जिस कारण गैरसायल को सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व विना तकासमा रहन वय करने का अधिकार नहीं है यदि गैरसायल को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायल सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है तथा रहन वय कर सकते है। जिससे सायलान को नुकशान होने का अनुमान किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में सावित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलनः**–सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी मौके पर बंटी हुई हो इस तरह का गैरसायल ने अपनी ओर से कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है मुताविक जमाबन्दी विवादित आराजी अवट व शामलात खातेदारी की होना सावित है यदि गैरसायल को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायल विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकता है तथा रहन वय कर सकता है जिस कारण सायलान को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

3. **ना पूर्ति होने वाली क्षतिः**–विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल की खातेदारी में दर्ज है। सायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी मौके पर बंटी हुई हो इस तरह का गैरसायल ने अपनी ओर से कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है विवादित आराजी का अवट होने व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है यदि गैरसायल ने सायलान

उपखण्ड अधिकारी
(ब्यावर) राज०

के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान को होना संभव है। इससे वाद वहुलता भी बढेगी। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–:आदेश:–

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को आराजी खसरा नम्बर 220, 278, 12, 146, 16, 17, 21, 247, 517/697, 520, 521 वाके ग्राम टीकरी तहसील कठूमर के रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित होने से स्वीकार किया जाकर पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 27.06.2023 को मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर